न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 29.01.2024

छीतर पुत्र गोदू जाति माली निवासी मालियो की झोपडिया तन मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलांट

बनाम

तहसीलदार टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 04.01.2024 मिसल नम्बर 631 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल गुसांरिया,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 21.02.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.7587 है0 एंव खसरा नम्बर 741 रकबा 0.2529 है0 किस्म बजड–3 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 240 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया है। अपीलांट के विरूद्व तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांट को पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हल्का पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करना का अवसर भी नही दिया गया है। अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल नही किया है। अपीलांट ने उक्त भूमि के सबंध मे न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक मे दावा उद्घोषणा,खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा (16 / 2012) पेश करने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 18.05.2015 से उक्त दावा को

जिला कलेक्टर

स्वीकार किया गया है,उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान मे होने के बाद भी अपीलांट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 736 मे से रकबा 1.0116 है0 किस्म बजड–2 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से मदनलाल की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 740 रकबा 0.7587 है0 व ख़सरा नम्बर 741 रकबा 0.2529 है0 किस्म बजड–3 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 508/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 04.01.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक